

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

रत्नलाल बनाम अमरतीलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 472/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/12/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रत्नलाल</u></p> <p>पिता श्री <u>वरदा जी जीटिया</u></p> <p>निवासी- <u>दौलतपुरा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>दौलतपुरा (पम्ह रोलाहेडा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>454, 456, 457, 458, 459, 463</u></p> <p>कुल कीता <u>06</u> कुल रकबा <u>1-3300</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>दौलतपुरा (पम्ह रोलाहेडा)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>454, 456, 457, 458, 459, 463</u></p> <p>कुल कीता <u>06</u> रकबा <u>1-3300</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000.00</u> रुपये अक्षर <u>रु. 6.00</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>EP</u> (रामचन्द्र/खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>